Tenders & registration of contractors

कार्यालय मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतकर्ता)
41,शिल्प भवन सअरेरा सहिल्य,म.प्र
दूरभाष कं..–2554330,2556006,2575255

क्रंमाक रूपा/लोनिवि–सुशान,11/04–05 भोपाल दिनांक /02/2005

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग ,
भोपाल म.प्र.

विषय :– निर्माण कार्यो के विलम्ब से क्रियान्वयन हेतु क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारण आदेश में स्पष्ट प्रकिया अपनाये जाने के संबंध में ।

––––––00––––––––

विभिन्न प्रकरणों में विभागीय अधिकारीयों व्दारा विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने के लिए जारी किये जा रहे आदेशों में विलम्ब के कारणों की समीक्षा की जाकर विलम्ब अवधि की तुलना नही की गई हैं,अनुंबधानुसार औचित्य पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया जाना नहीं पाया जा रहा हैं!क्षतिपूर्ति आदेश सपीकिग नहीं होते ! अतएव क्षतिपूर्ति प्रकरणों के निपटारे हेतु निम्नानुसार सुक्षाव दियें जा रहें हैं!

1. कार्या के क्रियान्वयन में हुए विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति राशि की गणना तथा वसूली अनुबंध के प्रावधानों अनुसार सुनिश्चित की जाये !इस हेतु विलम्ब की अवधि की गणना अंकित की जाना चाहिए तथा इसमें जिस अवधि के लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं है,वह अवधि स्पष्ट रूप से विवेचनात्मक विवरण उपरांत अलग दर्शायी जाकर घटाई जाने उपरांत शेष अवधि के लिए अनुबंध प्रावधानों अनुसार क्षतिपूर्ति की दर का औचित्यपूर्ण निर्धारण किया जाना चाहिए !विभागीय अधिकारियों व्दारा समय वृद्धि तथा क्षतिपूर्ति प्रकरणों के निर्णयो में उपरोक्तानुसार स्पष्ट विवरण दर्शाते हुये विस्तृत आदेश (स्पीकीग आर्डसर) जारी किया जाना चाहिए !

2. ऐसे प्रकरणों में अथवा ऐसी अवधि के लिए जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं ",वहां विलम्ब अवधि के कारणों की समीक्षा प्रमुख अभियता /विभागाध्यक्ष स्तर पर की जाकर यथोचित उपाय किये जाना चाहिये ताकि इस प्रकार के विलम्ब की स्थिति से बचा जा सकें!

उपरोक्त सुक्षाव नुसार निर्माण कार्यो के विलम्ब से क्रियान्वयन हेतु क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारण के लिए समस्त निर्माण विभागों को निर्देशित करने तथा इस संबंध में संबंधित विभागों व्दारा की गई कार्यवाही से संगठन को अवगत कराने के लिए निर्देशत करने हेतु निवेदन हैं!

हस्ता/–
मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतकर्ता)

मध्यप्रदेश भोपाल

क्रं0 / 661 / मुत0 / स / सुक्षाव–11 / 2004–05 भोपाल दिनांक 11.2.2005

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव ,म.प्र. शासन,लोक निर्माण विभाग / जल साधन / लाक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,भोपाल !

हस्ता / –

मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतकर्ता)

मध्यप्रदेश भोपाल

कार्यालय प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

सतपुडा भवन ,भोपाल

पृ0क्रं0 / 2885 / दक / मुतप / (सुक्षाव)लो.स्वा.यां.वि / भोपाल दिंनाक 11.4.05

प्रतिलिपिः–

1. रामसस्त मुख्य अभियंता , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागम.प्र.
2. समस्त अधीक्षण यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म.प्र.
3. समस्त कार्यापालन यंत्री , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड म.प्र.

आप की ओर भेजकर निर्देशित हैं कि मुख्य तकनीकी परीक्षक (स) व्दारा दिये गये सुक्षाव का पालन सुनिश्चित करें !

प्रमुख अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

म.प्र. भोपाल